

12-1-22

4-3-22

पत्रावली पेश हुई / वादीगण एवं
 एडवोकेट उपस्थित। वादी की
 ओर से जरिये एडवोकेट ने
 इस न्यायालय में एक वाद पत्र
 पेश कर अवगत कराया कि
 उक्त वाद पत्र को विद्वे करके
 नया वाद पत्र करना चाहता है।
 जो पत्रावली शामिल किया गया।
 अतः प्रार्थना पत्र वादी का स्वीकार
 किया जाना उचित समझता हूँ।
 अतः न्यायादिन में प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किया जाकर पत्रावली
 खारीज की जाती है। पत्रावली
 फरसल शमार हो। पत्रावली कम्प्ले
 से कम होकर वाद नकली
 दारिखल दफ्तर हो।

रामकृष्ण

Deputy
 न्यायाधीश
 USD
 8/02/2022

UB.
 उप जिला कलेक्टर
 चौध का बरवाड़ा

